

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] No. 132] दिल्ली, बुधवार, सिवम्बर ७, २००५/भाद्र १६, १९२७

[रा.रा.स.धे.दि. सं. 495

DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2005/BHADRA 16, 1927

[N.C.T.D. No. 495

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिस्थना

दिल्ली, ७ सितम्बर, 2005

सं. फा. 14/(33)/विधान०-2004/273.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम पर भारत के राष्ट्रपति की सहमति 11 अगस्त, 2005 को प्राप्त हो चुकी है और जन साधारण की सूचनार्थ इसे प्रकाशित किया जाता है:—

दिल्ली पुरावन एवं ऐविहासिक स्मारक तथा पुरावत्वीय स्थल और अवशेष अविनियम, 2004

(2005 का दिल्ली अधिनियम 9)

11 अगस्त, 2005

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा 16 दिसम्बर, 2004 को यथापारित)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गये स्मारकों एवं स्थलों के अतिरिक्त, ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के परिरक्षण तथा राष्ट्रीय महत्त्र के घोषित किये गये स्थलों के अतिरिक्त पुरातत्वीय स्थलों के उत्खन्न के विनियमन के लिए प्रावधान बनाने हेतु अधिनियम।

यह भारत गणराज्य के पचपनमें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :---2662 DG/2005

अध्याय-]

प्रारम्भिक

- 1. संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारंभ.—(1) यह अधिनियम दिल्ली पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनयम, 2004 कहा जाये।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है।
- (3) यह ऐसी तिथि से प्रवर्तित होगा जैसी सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- 2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तंक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (क) "पुरातन स्मारक" का अर्थ है कोई ढ़ाँचा, निर्माण या स्मारक या कोई स्तूप या कबिस्तान या कोई गुफा, जिलामूर्ति, शिलालेख या एकाश्मक, जो ऐतिहासिक पुरातत्वीय या कलात्मक महत्व का हो तथा एक सौ वधौँ से अधिक से विद्यमान हो और इसमें शामिल है:—
 - (i) किसी पुरातन स्मारक के अवशेष; ...
 - (ii) पुरातन स्मारक का स्थान;
 - (iii) पुरातन स्थान के साथ लगा हुआ कोई भू-भाग जो ऐसे पुरातन स्मारक की बाड़ लगाने, बेरने या किसी अन्य रूप में संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो; तथा

(1)

- (iv) किसी पुरातन स्मारक में प्रवेश के साधन और सुविधापूर्वक निरीक्षण;
- (ख) ''पुरातत्वीय स्थल और अवशेष'' का अर्थ है कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या परिशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान हैं, और जिसमें सम्मिलत हैं—
 - (i) इस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो उसे बाङ् से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो; तथा
 - (ii) इस क्षेत्र के अभिगमन और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;
- (ग) "निदेशक" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पुरातत्व निदेशक और इसमें इस अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत विहित निदेशक की शिक्तयों का प्रयोग करने के लिए और उसके सभी या किसी भी प्रकार्य की निष्पादित करने के लिए सरकार के द्वारा अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी सम्मिलत हैं:
- (घ) ''सरकार'' का अर्थ है अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपित द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल त्यौर संविधान के अनुच्छेद 239 कक के अधीन इस कप में अभिनामित;
- (ङ) ''स्थानीय प्राधिकरण'' का अर्थ है दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण और इसमें दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम, 8) की धारा 151 के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत भी शामिल है;
- (च) "अनुरक्षण करना" में इसके व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित सम्मिलित हैं, किसी संरक्षित स्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई भी ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित स्मारक के अनुरक्षण या उसमें सुविधापूर्ण अभिगमन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो;
- (छ) "अजीव" किसी स्मारक या स्थल के संबंध में प्रयुक्त का अर्थ है कोई स्मारक या स्थल जो किसी संरक्षित स्मारक या स्थल घोषित किये जाते समय किसी धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान, रस्म, पूजा या प्रार्थना के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा रहा हो;
- (ज) ''स्वामी'' में सम्मिलित है-
 - (i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंधन करने की शक्तियां निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के पद उत्तराधिकारी;
 तथा

- (ii) कोई प्रबंधक या न्यासी, जो स्थामी न हो और जिसे स्मारक या स्थल की अभिरक्षा और प्रबंधन साँपा गया हो और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद-उत्तराधिकारी;
- (ज्ञ) "विहित" का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (अ) "संरक्षित क्षेत्र" का अर्थ है कोई पुरावत्वीय स्थल और अवशेष, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोशित किया गया हो:
- (ट) ''संरक्षित स्मारक'' का अर्थ है कोई ऐसा प्राचीन स्मारक, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अंतर्गत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया हो:
- (ठ) ''अनिधकृत अभियोग'' का अर्थ है किसी भवन या स्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष का किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, अधिभोग के प्राधिकार के बिना, अधिभोग और इसमें, जिस प्राधिकार के अन्तर्गत परिसर में रहने की अनुमृति दी गई थी, उस प्राधिकार का अवसान हो चुका हो या किसी भी कारण से उसे समाप्त कर दिया गया हो और उसके बाद स्मारक या पुरातत्वीय स्थल का किसी व्यक्ति द्वारा अधिभोग जारी रखा जाना, सम्मिलित है।
- 3. अधिनियम की प्रयुक्ति.—इस अधिनियम में कुछ भी संरक्षित क्षेत्रों और संरक्षित स्मारकों भर, जैसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का केन्द्रीय अधिनियम 24) के खंड 2 की धाराओं (इ) और (अ) में क्रमश: निरूपित हैं, लागू नहीं होगा।

अध्याय-∐

संरक्षित स्मारक

- 4. स्मारकों को संरक्षित स्मारक और पुरातत्वीय स्वलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की सरकार की शक्ति.—
- (1) जहां सरकार की राय है कि निम्नलिखित का विनाश, क्षति, परिवर्तन, कुरूप होने, खराब होने, हटाने,अस्तव्यस्त होने अथवा क्षय होने से बचाने के लिये और इसके परिरक्षण के लिये यह आवश्यक है:—
 - (क) स्मारक;
 - (ख) पुरातत्वीय स्थल और अवशेष;
 - वहां वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित करने अथवा ऐसे पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने, जैसी भी स्थिति हो, संबंधी अपने इरादे का दो मास का नोटिस दे सकती है और ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति स्मारक या स्थल और अवशेष, जैसी भी स्थिति हो, में या समीप किसी सहजदृश्य स्थान पर लगा दी जाएगी।
- (2) ऐसे स्मारक या पुरावत्वीय स्थल और अवशेष में रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति उप-खंड (1) के अन्तर्गत अधिसूचना

निकाले जाने के पश्चात्, दो मास के भीतर, स्मारक को संरक्षित स्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को संरक्षित क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, की घोषणा पर आपत्ति कर सकेगा।

- (3) दो मास की उक्त अवधि की समाप्ति पर, सरकार उन आपत्तियों पर, यदि कोई हो तो, विचार करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्मारक को संरक्षित स्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को संरक्षित क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, होने की घोषणा कर सकती है।
- (4) इस खंड के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना जब तक वापिस न ली जाए तब तक वह इस तथ्य का निर्णयक प्रमाण होगी कि स्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, जिनसे वह संबंधित है, संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र जैसी भी स्थिति हो।
- संरक्षित स्मारक के अधिग्रहण का अधिकार.—
 (1) निदेशक, रारकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी संरक्षित स्मारक को खरीद सकता है या पट्टे पर था उपहार था दान के रूप में ले सकता है।
- (2) जहां कोई संरक्षित स्मारक बिना स्वामी के है, वहां निदेशक, भाष्कीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, स्मारक की संरक्षकता ग्रहण कर सकता है।
- (3) किसी संरक्षित समारक का स्वामी लिखित दस्तावेश द्वारा निदेशक को स्मारक का संरक्षक गठित कर सकता है और निदेशक, सरकार के अनुमोदन से, ऐसी संरक्षकता को स्वीकार कर सकता है।
- (4) जब निदेशक ने उपखंड (3) के अन्तर्गत किसी स्मारक की संरक्षता स्वीकार कर ली है, तब इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधित के सिवाय, स्वामी के पास स्मारक में और पर वही सम्पत्ति अधिकार, स्वामित्व और हिस्सा होगा निदेशक को उस स्मारक का संरक्षक गठित नहीं किया गया है।
- (5) जब निदेशक ने उपखंड (3) के अन्तर्गत किसी संरक्षित स्मारक की संरक्षकता स्वीकार कर ली है, तब खंड 6 के अंतर्गत किये गये समझौते से संबंधित अधिनियम के प्रावधान उक्त उपखंड में संदर्भित लिखित करार पर लागू होंगे।
- (6) यदि किसी स्मारक का धार्मिक उपयोग किया जा रहा है, तो इस खंड में कुछ भी प्रधागत धार्मिक रीति रिवाजों के पालन के लिए संरक्षित समारक के उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा।
- 6. संरक्षित स्मारक का करार द्वारा अनुरक्षण.—
 (1) निदेशक, सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी संरक्षित स्मारक के मालिक से स्मारक या स्थल के अनुरक्षण के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सरकार से करार करने के लिए प्रस्ताव कर सकता है।
- (2) इस खंड के अधीन करार निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए प्रावधान कर सकेगा, अर्थात् :—
 - (क) स्मारक का अनुरक्षण;
 - (ख) स्मारक की अभिरक्षा और उस व्यक्ति के कर्तव्य जो उसकी रखवाली करने के लिए नियोजित किया जाए;
 - (ग) स्वामी के अधिकारों पर प्रतिबंध ---
 - (i) किसी भी प्रयोजन के लिए स्मारक का उपयोग करने;

- (ii) स्मारक में प्रवेश या उसके निरीक्षण के लिए कोई शुक्क लगाने;
- (iii) स्मारक को नष्ट करने, क्षति पहुँचाने, हटाने, परिवर्तित करने या विरूपित करने; या
- (iv) स्मारक के स्थल पर या उसके समीप या पचास मीटर तक के घेरे में निर्माण करने के, अधिकार का निर्बन्धन;
- (घ) जनता को अथवा उसके किसी वर्ग को और निदेशक को और मालिक अथवा निदेशक द्वारा स्मारक का निरीक्षण या अनुरक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति को अभिगमन की सुविधाएं;
- (ङ) यदि वह भूमि जिस पर स्मारक स्थित है अथवा उससे लगी हुई भूमि स्वामी द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाती है, तो सरकार को दिया जाने वाला नोटिस तथा ऐसी भूमि को बाजार मूल्य पर क्रय करने का सरकार को आरक्षित किया गया अधिकार;
- (च) स्वामी द्वारा या सरकार द्वारा स्मारक के अनुरक्षण के संबंध
 में किए गए किसी व्यय का भुगतान;
- (छ) जब स्मारक के अनरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा कोई व्यय किया जाता है तो मालिकाना तथा अन्य अधिकार जो स्मारक के विषय में सरकार में निहित होंगे;
- (ज) करार से उद्भूत होने वाले किसी विवाद का निर्णय करने के लिये किसी प्राधिकारी की नियुक्ति; तथा
- (झ) स्मारक के अनुरक्षण से संबंधित कोई भी विषय जो मालिक और सरकार के बीच करार का उपयुक्त विषय हो।
- (3) यदि आवश्यक हो तो, सरकार के अनुमोदन से तथा स्वामी की लिखित सहमति से, इस खंड के अंतर्गत किए गए अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते कि इससे स्मारक के अधिक अच्छे अनुरक्षण का उद्देश्य पूरा होता हो।
- . (4) सरकार या स्वामी इस खंड के अंतर्गत करार के निष्पादन की तिथि से दस वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय दूसरे पक्ष को छ: मास का लिखित नोटिस देकर उसे समाप्त कर सकेगा:

बशर्ते कि जहाँ करार स्वामी द्वारा समाप्त किया जाता है वहां वह सरकार को इसके अनुरक्षण पर इसके द्वारा किए गए व्यय, यदि कोई हो तो, का भुगतान करेगा।

- (5) इस खंड के अन्तर्गत करार किसी भी व्यक्ति पर बंधनकारी होगा जो उस पक्ष से, के अधीन अथवा के माध्यम से जिसके द्वारा अथवा जिसकी ओर से करार निष्पादित किया गया था, उस स्मारक का, जिससे यह संबंधित है, मालिक होने का दावा करता है।
- 7. जब स्वामी निर्धोग्य हो अथवा जब यह ग्राम सम्पत्ति हो. (1) यदि संरक्षित स्मारक का स्वामी, बाल्यावस्था या अन्य निर्योग्यता के कारण, स्वयं कार्य करने में असमर्थ है, तो वह व्यक्ति जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए विधित: रूप में सक्षम है, उन गवितयों का प्रयोग कर सकेगा जो खंड 6 के द्वारा स्वामी को प्रदत्त है।

- (2) इस संरक्षित स्मारक के संबंध में जो ग्राम की संपत्ति है, ग्राम की पंचायत, जहां संपत्ति गांव की पंचायत में निहित है, या जहां संपत्ति ग्राम पंचायत में निहित नहीं है, वहां ऐसी सम्पत्ति पर प्रबंधन की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई ग्राम अधिकारी खंड 6 के द्वारा स्वामी को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।
- (3) इस खंड में कुछ भी ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उसी धर्म का न हो, जो उस व्यक्ति का है, जिसकी ओर से वह कार्य कर रहा है, किसी जीवंत अर्थात् क्रियागत संरक्षित स्मारक के संबंध में जिसका कोई भाग, इसके संरक्षण के समय, धार्मिक पूजा अथवा उस धर्म के रीति-रिवाजों के लिए प्रति वर्ष नियमित प्रयोग में लाया जाता है, किसी करार को करने या निष्यन्त करने के लिए समर्थ करने वाला नहीं समझा जाएगा।
- 8. संरक्षित स्मारक की मरम्मत के लिए वृत्तिदान का आवेदन.—(1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्मारक के अनुरक्षण के लिए खंड 6 के अधीन करार करने के लिए सक्षम है, निदेशक द्वारा प्रस्ताव किए जाने पर ऐसा करार करने से इंकार करता है या करने में असफल रहता है, और यदि ऐसे स्मारक को, अन्य के साथ-साथ, अच्छी अवस्था में रखने के प्रयोजन के लिये किसी विन्यास का सूजन किया गया है तो सरकार ऐसे विन्यास या उसके भाग के उचित उपयोजन के लिए, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वाद दायर कर सकेगी या, यदि स्मारक की मरस्मत कराने का अनुमानित व्यय बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो जिला न्यायाधीश को जायेदन कर लकेगी।
- (2) उपखंड (1) के अधीन दिए गए आवेदन की सुनवाई करने पर, दिल्ली का जिला न्यायाधीश, स्वामी और अन्य ऐसे व्यक्ति की जिसका साक्ष्य उसे आवश्यक प्रतीत होता है, बुला सकता है और उसका वक्तव्य ले सकता है तथा विन्यास या उसके किसी भाग के उपशुक्त उपयोजन के लिए आदेश जारी कर सकता है तथा ऐसे आदेश का निष्यादन उस प्रकार किया जाएगा मानो यह दीवानी न्यायालय की आज़ित हो।
- 9. करार करने में असफलता या करार से इंकार.—(1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्मारक के अनुरक्षण के लिए खंड 6 के अधीन करार करने के लिए सक्षम है, ऐसा करार करने से इंकार करता है या करने में असफल रहता है तो, सरकार खंड 6 की उपखंड (2) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं बातों का प्रावधान करने वाला आदेश कर सकेगी और ऐसा आदेश स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति पर बंधनकारी होगा जो स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति से, के माध्यम से तथा के अधीन स्मारक के स्वामित्स का दावा करे।
- (2) जहां उपखंड (1) के अधीन किया गया आदेश यह प्रावधान करता है कि स्मारक का अनुरक्षण स्थामी या करार करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, वहां स्मारक के अनुरक्षण के लिए सभी युक्तिसंगत व्यव सरकार द्वारा देश होंगे।
- (3) उपखंड (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि स्वामी या अन्य व्यक्ति को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध लिखित अभिवेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।
- 10. अनुबंध के उल्लंघन को प्रतिवेध करने वाला आदेश करने की शनित.—(1) यदि निदेशक को यह आशंका है कि किसी

संरक्षित स्मारक का स्वामी या अधिभोक्ता खंड 6 के अधीन करार के निबंधनों के उल्लंबन में स्मारक को नष्ट करने, हटाने, परिवर्तित करने, विरूपित करने, विकृत करने, खतरे में डालने या दुरूपयोग करने या उसके स्थल पर या उसके समीप निर्माण करने का इरादा रखता है तो निदेशक, स्वामी या अधिभोक्ता को लिखित अभिवेदन करने का अवसर देने के पश्चात् करार के ऐसे किसी उल्लंबन को प्रतिषेध करने वाला आदेश कर सकेगा:

बशर्ते कि ऐसा कोई अवसर ऐसे मामले में नहीं भी दिया जा सकता है जिसमें निदेशक उन कारणों से, जो लिपिबद्ध किए जायेंगे, आश्वस्त हो जाता है कि ऐसा करना समयोचित या व्यवहार्य नहीं है।

- (2) इस धारा के अधीन आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जैसी इस संबंध में विहित की जाए, सरकार को अपील कर सकेगा और सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
- 11. करार का प्रवर्तन.— (1) यदि स्वामी या अन्य किसी व्यक्ति जो खंड 6 के अधीन स्मारक के अनुरक्षण के लिए करार द्वारा आबद्ध है, कोई ऐसा कार्य, जो निदेशक की राय में स्मारक के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो निदेशक कि लिए आवश्यक है, ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो निदेशक निश्चित करें, करने से इंकार करता है या करने में असफल रहता है, तो निदेशक ऐसे किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है और स्वामी या अन्य व्यक्ति, किसी ऐसे कार्य करने के व्यय के, जिसके भुगतान के लिए स्वामो करार के अधीन दायी हो सकता है, भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) विद उपखंड (1) के अधीन स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा देय व्ययों की राशि के संबंध में कोई विवाद उद्भृत होता है, तो इसे सरकार को प्रेषित किया जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- 12. कितपय विक्रयों के क्रेताओं और स्वामी के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों का स्वामी द्वारा निष्पादित लिखत से आबद्ध होना.— हर व्यक्ति जो भू-राजस्व की बकाया या अन्य किसी सार्वजिक मांग के लिए किसी विक्रय पर किसी भूमि का क्रय करता है, जिस पर कोई स्मारक स्थित है, जिसके संबंध में, खंड 5 या खंड 6 के अधीन, तत्समय स्वामी द्वारा कोई लिखत निष्पादित की गई है और हर ऐसा व्यक्ति जो, उस स्वामी से व्युत्पन्न जिसने कोई ऐसी लिखत निष्पादित की है, अधिकार से, के द्वारा या अधीन स्मारक पर किसी अधिकार, स्वामित्व या स्वार्थ का दावा करता है, ऐसी लिखत से आबद्ध होगा।
- 13. संरक्षित स्मारकों का अनिवार्य अधिग्रहण. —यदि सरकार को आशंका है कि किसी संरक्षित स्मारक को नष्ट किये जाने, क्षति पहुँचाए जाने, दुरूपयोग किये जाने या उसे क्षय हो जाने के लिए छोड़ दिए जाने का खतरा है तो सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 के 1) के प्रावधानों के अन्तर्गत इसका अधिग्रहण इसी प्रकार कर सकती है मानों इस संरक्षित स्मारक का अनुरक्षण उस अधिनियम के अर्थों के भीतर एक सार्वजनिक उद्देश्य हो।
- 14. कतिषय संरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण.— (1) सरकार हर स्मारक का अनुरक्षण करेगी, जो खंड 13 के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया है या जिसके संबंध में खंड 5 में उल्लेखित अधिकारों में से कोई अधिग्रहित किया गया है।

- (2) जबकि निदेशक ने खंड 5 के अथीन किसी स्मारक की संरक्षकता स्वीकारी है तब उसे, ऐसे स्मारक के अनुरक्षण के उद्देश्य से, सभी युक्तियुक्त समयों पर, स्वयं या उसके अभिकर्ताओं, अधीनस्थों और कर्मकारों द्वारा स्मारक का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए और ऐसी सामग्री लाने और ऐसे कार्य करने के उद्देश्य से, जिन्हें वह उसके अनुरक्षण के लिए आवश्यक या चांछनीय समझे, स्मारक के अभिगमन का अधिकार होगा।
- 15. स्वैष्णिक अंशदान.—निदेशक किसी संरक्षित स्मासक के अनुरक्षण पर व्यय के निमित्त स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त कर सकेगा और ऐसे सामान्य अथवा विशेष आदेश या निर्देश दे सकेगा जैसे वह अपने द्वारा इस प्रकार प्राप्त अंशदान के प्रबंधन और उपयोग के लिए आवश्यक समझे:

बसर्तें कि इस खंड के अन्तर्गत प्राप्त किसी भी अंशदान को, दाता की लिखित सहमति के बिना, उस उद्देश्य के अतिरिक्त, जिसके लिए वह प्राप्त किया गया है, किसी उद्देश्य के लिए उपयोजित नहीं किया जाएगा।

- 16. पूजा स्यलॉ का दुरुपयोग, प्रदूषण अथवा अपवित्री-करण से सुरक्षा.—(1) इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुरिक्षत किसी संरक्षित स्मारक को, जो सिक्रिय धार्मिक उपयोग में आने वाला कोई पूजा स्थल है, अपने स्वरूप के असंगत किसी उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जायेगा।
- (2) जहां सरकार ने खंड 13 के अंतर्गत किसी संरक्षित स्मारक का अधिग्रहण कर लिया है या खंड 5 के अंतर्गत उसे क्रय किया है या पट्टे पर लिया है या उपहार स्वरूप या बसीयत में स्वीकार किया है या उसकी संरक्षणता स्वीकार की है और जहां ऐसा स्मारक या इसका कोई भाग किसी सम्प्रदाय द्वारा धार्मिक पूजा या किसी रीति-रिवाज के लिए वस्तुत: प्रतिवर्ष प्रयोग किया जाता है तो, निदेशक ऐसे स्मारक या उसके किसी भाग की प्रदूषण या अपवित्रता से सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान करेगा—
 - (क) उन शर्तों के अनुसार प्रवेश के सिवाय जो उक्त संस्मारक या उसके किसी भाग के धार्मिक भारसाधक व्यक्तियों की, यदि कोई हों, सहमति से विहित की गई हों, किसी ऐसे व्यक्ति का, जो उस समुदाय की, जिसके द्वारा वह संस्मारक या उसका कोई भाग उपयोग में लाया जाता हो, धार्मिक प्रथाओं द्वारा इस प्रकार प्रवेश करने का हकदार न हो, उसमें प्रवेश प्रतिषद्ध करके, अथवा
 - (ख) कोई ऐसी अन्य कार्यवाई करके, जिसे वह इस निमित्त आवश्यक समझे।
- 17. निषद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र.—िकसी संरक्षित स्मारक की सीमाओं से पचास मीटर तक का क्षेत्र संरक्षित स्मारक के समीप या उससे लगी हुई भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण एवं उत्खनन गतिविधियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र के रूप में घोषित किया जावेगा और इससे परे एक सौ मीटर तक का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जावेगा, जिसमें निर्माण एवं उत्खनन गतिविधियों केवल सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रारम्भ की जा सकेगी और इस विधेयक के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन होगी।
 - 2662 DRJ 2005-2

- 18. संरक्षित स्मारकों की सुविधाओं का परिरक्षण.—(1) यदि सरकार की राय है कि किसी संरक्षित स्मारक की युक्तियुक्त जनसुविधाओं के परिरक्षण के उद्देश्य से ऐसा किया जाना आवश्यक है तो, सरकार, इस खंड के उपबंधों के अधीन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसे स्मारक का क्षेत्र या उसके स्थल के साथ लगने वाला क्षेत्र सम्मिलत है, जिसे ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है (इसके पश्चात् इसे "नियंत्रित क्षेत्र" कहा गया है)—
 - (क) नियंत्रित क्षेत्र के भीतर निर्माण, उत्थापन या भवन या ढाँचा बनाने या अन्य कार्य या ऐसे भवन या ढाँचे में परिवर्तन या विस्तार या इस रीति का कोई कार्य जिससे स्मारक का बाहरी स्वरूप भौतिक रूप से प्रभावित हो, का प्रतिषेध कर सकती है या उसे प्रबंधित कर सकती है;
 - (ख) नियंत्रित क्षेत्र के भीतर भवनों, ढा़चों तथा अन्य कार्य की स्थिति, कैंचाई, स्थल, सामग्री, रंग तथा चित्रपट का निर्धारण या अन्यथा बाहरी स्थरूप का विनियमन कर सकती है;
 - (ग) किसी स्थानीय प्राधिकरण से अपेक्षा कर सकती है कि वह—
 - (i) किसी संरक्षित स्मारक के अभिगमन के लिए सड़क का निर्माण करें; या
 - (ii) इसमें बनी किसी प्रकार की सार्वजनिक सुविधा जैसे शौनालय, मूतालय, कूड़ादान, कूड़ा डालने का स्थान या इसी प्रकार की अन्य चीजें, जो संरक्षित स्मारक के निकट या उसके आसपास में हों, को विध्वंश कर दें:
 - (घ) नियंत्रित क्षेत्र के भीतर भूमि के प्रयोग को अन्यथा प्रतिबंधित कर सकती है;
 - (ङ) नियंत्रित क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का प्रयोग को अन्यथा ऐसी सीमा तक प्रतिबंधित कर सकती है जैसा संरक्षित स्मारक की युक्तियुक्त सुविधाओं के परिरक्षण के लिए आवश्यक हो: और
 - (च) ऐसे मामलों के लिए प्रावधान कर सकती है जो सरकार को इस खंड के पिछले प्रावधानों के लिए प्रासंगिक या परिणामिक प्रतीत होते हो या उन प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों।
- (2) उपखंड (1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के कम से कम पैंतालीस दिनों के पूर्व, सरकार शासकीय राजपत्र में, नियंत्रित क्षेत्र में, तथा गाँव में तथा तहसील के मुख्यालय में जिसमें नियंत्रित क्षेत्र में, तथा गाँव में तथा तहसील के मुख्यालय में जिसमें नियंत्रित क्षेत्र स्थित है, इस आशय की अधिसूचना छपवाएगी कि जो भी उपखंड (1) के अन्तर्गत ऐसी अधिसूचना के जारी करने के विरूद्ध कोई आपित करना चाहता है, वह लिखित रूप में सरकार को अपनी आपित्तयाँ प्रस्तुत करें या सरकार की ओर से आपित्तयों की सुनवाई के लिए विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के सामने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के एक महीने के भीतर या नियंत्रित क्षेत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के पन्त्रह दिनों के भीतर, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, उपस्थित हो।

- (3) यदि उपखंड (2) द्वारा अनुमत्त आपत्तियाँ दायर करने की समय सीमा समाप्ति पर भी कोई आपित दायर नहीं की जाती है, तो सरकार, उपखंड (1) के अधीन अविलम्ब अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही करेगी, परंतु यदि कोई आपित की गई तो आपित पर विचार करने या उसकी सुनवाई करने, जैसी भी स्थिति हो, के पश्चात् या तो—
 - (क) उपखंड (1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव त्याग सकती है; या
 - (ख) उपखंड (1) के अन्तर्गत ऐसे संशोधन, यदि कोई हो तो, करते हुए अधिसूचना जारी कर सकती है, जैसे वह उचित समझे।
- (4) उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के प्रश्न पर सरकार का निर्णय अंतिम तथा निर्णायक होगा।
- (5) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी अधिसूचना में निहित कुछ भी किसी भवन, ढाँचे या अन्य कार्य या इनमें किसी परिवर्तन या इसके विस्तार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा यदि इसे उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के आशय का नोटिस जारी करने से पहले निर्मित किया गया था, खड़ा किया गया था या निष्पादित किया गया था तथा, इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए, किसी भवन, ढाँचे या अन्य कार्य तथा इसमें किसी परिवर्तन तथा विस्तार को उस तिथि से पूर्व मिर्मित, खड़ा किया हुआ या निष्पादित माना जाएगा—
 - (क) यदि निर्माण या खड़ा करना या निष्पादन उस तिथि से पूर्व शुरू हुआ था; या
 - (ख) यदि, और जहां तक, उस तिथि से पूर्व किए गए अनुबंध के अनुपालन के प्रयोजन के लिए निर्माण, चिनाई या निष्पादन कार्य किया जाना आवश्यक था;
- (6) कोई भी व्यक्ति, जिसकी संपत्ति उपखंड (1) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रभावी होने से हानिकारक रूप से प्रभावित होती हैं, खंड 31 प्रावधानों के अधीन सरकार से उसके संबंध में प्रतिकर लेने का हकदार होगा।
- 19. स्मारक के विनाश को रोकने की शिक्तयाँ.—इस अधिनियम में कुछ भी रहते हुए जहां निदेशक की राय है कि किसी स्मारक जिसको इस अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया गया है, को जानबूझकर या अन्यथा रूप में नष्ट किया जा रहा है और सार्वजनिक हित में इसके संरक्षण की आवश्यकता है तो वह स्मारक को नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- 20. बेदखली के आदेश के लिए कारण बताओं नेटिस जारी करना.— (1) यदि सरकार का विचार है कि किन्हीं व्यक्तियों का किसी स्मारक या स्थल पर अनिधकृत कब्बा है जिसका स्यामित्व सरकार के पास है तथा उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए तो निदेशक यहाँ इसके आगे प्रविधित रीति के अनुसार इसका कारण बताने का नोटिस जारी करेगा कि क्यों न बेदखली का आदेश जारी किया जाए।
 - (2) नोटिस में—
 - (क) उन आधारों को विनिर्दिष्ट किया जएगा जिन पर बेदखली का आदेश किया जाना प्रस्तावित है; तथा

- (ख) सभी संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षा की जायेगी, अर्थात्, वे सभी व्यक्ति जो स्मारक के अधिभोक्ता हैं, या हो सकते हैं, या स्मारक में किसी स्वार्थ का दावा करते हों कि वे—
 - (i) प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध ऐसी तिथि पर या उससे पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट है जो नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिनों से पूर्व न हो, कारण, यदि कोई, तो बतायें; तथा
 - (ii) नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि पर उस साक्ष्य के साथ जो ये बताये गये कारण के समर्थन में प्रस्तुत करने का इसदा रखते हैं, निदेशक के समक्ष उपस्थित हों और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी यदि ऐसी सुनवाई इच्छित है।
- (3) निदेशक नोटिस को स्मारक के बाहरी भाग या किसी अन्य स्पष्ट रूप में दिखाई देने वाले भाग में लगवाकर तथा, किसी अन्य ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, नोटिस की तामील करवायेगा जिसके पश्चात् सूचना सभी संबंधित व्यक्तियों को विधिवत् दी गई मानी जाएगी।
- (4) जहां निदेशक को यह ज्ञात है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किन्हीं व्यक्तियों ने स्मारक पर अधिभोग कर रखा है, वहां उपखंण्ड (3) के प्रावधानों पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना, वह पंजीकृत डाक से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को या उस व्यक्ति को सीधे दिलवा कर अथवा ऐसी रोति से, जैसी विहित की जाए, नीटिस की एक प्रतिलिप प्राचा करवानेगा।
- 21. जनिषकृत अधिभोक्ताओं की बेदखली.—(1) यदि खंड 20 के अधीन नेटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शाए गए कारण यदि कोई हो तो, पर विचार करने के पश्चात्, तथा उसके समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा व्यक्तिगत सुनवाई यदि कोई हों तो, के पश्चात्, जो खंड 20 के उप-खंड (2) की धारा (ख) के अधीन दी गई हो, निदेशक इस बात से संतुष्ट है कि स्मारक पर अनिधकृत कब्जा है तो, निदेशक, कारणों को उसमें लिपिबद्ध करते हुए, बेदखली का आदेश यह निर्देश देते हुए कर सकता है कि कब्जा करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा स्मारक उस तिथि तक खाली कर दिए जाएंगे जो आदेश में विनिर्दिष्ट की गई है, तथा आदेश की एक प्रति स्मारकों के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य स्मष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर लगाई जाएगी।
- (2) यदि कोई व्यक्ति उप-खंड (1) के अंतर्गत बेदखली के आदेश को उस आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि पर या इसके प्रकाशित होने को तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर, जो भी बाद की हो, बेदखली के आदेश का पालन करने से इन्कार करता है या पालन करने में असफसल रहता है तो, निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, विनिर्दिष्ट तिथि अथवा उक्त वर्णित अवधि की समाप्ति के पश्चात, जो भी बाद में हो, ऐसी प्रविधि के अनुसार जो विहित की जाए, उस व्यक्ति को स्मारक से बेदखल कर सकता है और उस पर अपना कब्जा कर सकता है तथा, उस उद्देश्य के लिए, ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जैसा आवश्यक हो।
- 22. किसी संरक्षित स्मारक पर सरकार के अधिकार का त्याग.—(1) जहां सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस अधिनियम के अंतर्गत किसी स्मारक के संबंध में किसी विक्रय, पट्टा, दान या

वसीयत के आधार पर अधिकार अधिगृहित किए गए हैं, वहां सरकार अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार अधिगृहित अधिकारों को उस व्यक्ति के पक्ष में त्याग सकेगी, जो तत्समय स्मारक का स्वामी होगा मानो ऐसे अधिकार अधिगृहित ही नहीं किए गए थे।

- (2) निदेशक, सरकार की पूर्व स्वीकृति से, किसी स्मारक की संरक्षकता त्याग सकेगा जो उसने इस अधिनियम के अंतर्गत संभाली है।
- 23. किसी संरक्षित स्मारक के अभिगमन का अधिकार.— इस अधिनिमय के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन, जनता को किसी भी संरक्षित स्मारक अथवा उसके भाग तक अभिगमन का अधिकार होगा।

अध्याय-111

संरक्षित क्षेत्र

24. संरक्षित क्षेत्रों में सम्पत्ति अधिकारों के उपभोग पर प्रतिबंध.—(1) कोई भी व्यक्ति, जिसमें संरक्षित क्षेत्र का स्वामी या अधिभोक्ता भी सम्मिलित है, संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भवन का निर्माण या ऐसे क्षेत्र में कोई खनन, खुदाई, उत्खनन, विस्फोट या इसी प्रकार की कोई संक्रिया नहीं करेगा और न सरकार की अनुजा के बिना ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग का उपयोग किसी अन्य रीति से करेगा:

बशर्ते कि इस उप-खंड की कोई भी बात ऐसे किसी क्षेत्र या उसके भाग का खेती के प्रयोजनों के लिए उपयोग प्रतिषेध करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि ऐसी खेती में भूतल से एक फुट से अधिक मिट्टी नहीं खोदी जाती।

- (2) सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि संरक्षित क्षेत्र के भीतर उप-खंड (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित किसी भवन को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर हटा दिया जाएगा और यदि वह व्यक्ति आदेश के अनुपालन से इंकार करता है या करने में असफल रहता है तो, निदेशक उस निर्माण को हटवा सकेगा और वह व्यक्ति ऐसे हटाए जाने के खर्च के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा।
- 25. संरक्षित क्षेत्र को अधिगृष्टित करने की शक्ति. —यदि सरकार की यह राय है कि किसी संरक्षित क्षेत्र में कोई प्राचीन अवशेष, स्मारक या स्थल निहित है जो ऐतिहासिक या पुरातत्वीय मूल्य का है, तो वह ऐसे क्षेत्र का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे कर सकेगी मानो वह अधिग्रहण उस अधिनियम के अर्थ के भीतर लोक प्रयोजन के लिए हो।

अध्याय-IV

पुरावत्वीय उत्खनन

- 26. संरक्षित क्षेत्रों में उत्खनन. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 24 के प्रावधानों के अधीन, निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति (जिसे इसके आगे "अनुज्ञप्ति धारी" कहा गया है), संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त और स्वामी को लिखित सूचना देने के पश्चात् किसी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा और उत्खनन कर सकेगा।
- संरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में उत्खननः —
 प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम,

- 1958 (1958 का 24) की धारा 24 के अधीन जहां निदेशक के पास यह विश्वास करने की कारण है कि किसी क्षेत्र में, जो संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के भग्नावशेष या परिशेष हैं, वहां संबंधित जिले के उपायुक्त और स्वामी को लिखित सूचना देने के पश्चात् वह या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा और उसमें उत्खनन कर सकेगा।
- (2) निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, उत्खनन संक्रियाओं की समाप्ति पर, उस भूमि के स्वामी को, जिसमें ऐसे पुरावशेषों का पता चला है, ऐसे पुरावशेषों की प्रकृति एवं संख्या की लिखित सूचना देगा।
- 28. उत्खनन संक्रियाओं एवं अनियत खुदाई के दौरान प्राप्त पुरावशेषों का अनिवार्य अधिग्रहण.—(1) किसी स्थल पर, चाहे वह संरक्षित क्षेत्र में स्थित हो अथवा नहीं, मिली पुरावशेष या अन्य कोई सामग्री, सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिगृहित की जाएगी।
- (2) जहां, किसी आकस्मिक खोज के परिणामस्वरूप या किसी क्षेत्र में अनिधकृत खुदाई के परिणामस्वरूप, कोई पुरावशेष या अवशेष मिलतें है तो, निदेशक, उतना शीघ्र जितना व्यावहारिक हो, ऐसे पुरावशेषों की निरीक्षा करेगा और ऐसी रीति से और ऐसे विवरण की सम्मिलत करते हुए सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जैसे विहित किये जाए।
- (3) जब तक कि उप-खंड (4) के अन्तर्गत ऐसी किन्हीं पुरावशेषों के अनिवार्य क्रय का आदेश नहीं कर दिया जाता तब तक, निदेशक समुचित प्रलेखन के पश्चात् इन्हें ऐसी सुरक्षा में, जैसी वह उचित समझे, रखेगा।
- (4) सरकार उप-खंड (2) के अन्तर्गत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ऐसे किन्हीं भी पुरावशेषों के अनिवार्य क्रय का आदेश कर संकेगी।
- (5) जहां उप-खंड (4) के अंतर्गत किसी पुरावस्तु अथवा कलात्मक वस्तु के अनिवार्य क्रय का आदेश दिया जाता है, वहां ऐसी पुरावस्तु अथवा कलात्मक वस्तु का स्वामित्व आदेश की तिथि से सरकार में निहित होगा।

अध्याय-V

प्रतिकार के सिद्धान्त

- 29. क्षिति या नुकसान के लिए प्रतिकार.—किसी भू-स्वामी को या भूमि के अधिभोक्ता को, जिसे ऐसी भूमि पर प्रवेश या उत्खनन से या इस अधिनियम द्वारा या अंतर्गत प्रदत्त किसी अन्य शक्ति के प्रयोग के कारण किसी क्षति, नुकसान या लाभों में कमी के लिये सरकार द्वारा प्रतिकार संदत्त किया जाएगा।
- 30. बाजार मूल्य या प्रतिकार का आकलन. जहां किसी संपत्ति के बाजार मूल्य के, जिसे सरकार इस अधिनियम के अधीन ऐसे मूल्य पर ऋय करने के लिए सशक्त है या उस प्रतिकार के जो इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात के विषय में सरकार द्वारा संदत्त किया जाना है, विषय में कोई विवाद उद्भृत होता है, वहां यह मूल्य या प्रतिकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के खंड 3, 5, 8 से 34, 45 से 47, 51 और 52 में, जहां तक कि उन्हें लागू किया जा सके, प्रविधित रीति से अभिनिश्चित किया जाएगा:

बशर्ते कि उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन जांच करते समय, संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त की सहायता दो निर्धारकों द्वारा की जायेगी जिनमें से एक सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होगा और दूसरा स्थामी अथवा अधिभोक्ता के द्वारा नामित व्यक्ति होगा, यदि स्वामी या अधिभोक्ता, उपायुक्त द्वारा इस निमित्त नियत युक्तियुक्त समय के भीतर निर्धारक नामित करने में असफल रहता है तो उक्त निर्धारक उपायुक्त द्वारा नामित व्यक्ति होगा।

- 31. भारा 18 के अधीन प्रतिकार के लिए विशेष प्रावधान.—
 (1) कोई भी व्यक्ति धारा 18 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी किसी आदेश के संबंध में प्रतिकार का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक वह ऐसी अधिसूचना के लागू होने के तीन मास के भीतर या इससे अधिक समय तक, जो सरकार विशेष परिस्थितियों में अनुमन्त करे, विहित रीति से दावा न करे।
- (2) कोई भी व्यक्ति इस तथ्य के कारण प्रतिकार का हकदार नहीं होगा कि उसके द्वारा किया गया या कराया जाने वाला कोई भी कार्य या कोई बात ऐसी अधिसूचना द्वारा निष्कल की गई है यदि, और जहां तक, वह कार्य या बात उस तिथि के पश्चात् किया गया हो जब अधिसूचना जारी कर दी गई थी या इस तथ्य के कारण से कि उसके द्वारा उस तिथि के पश्चात् की गई किसी संविदा का निष्पादन अधिसूचना के परिणाम-स्वरूप निविद्ध हो गया है।
- (3) जहां ऐसी अधिसूचना का कोई प्रावधान, अधिसूचना के प्रभानी होने से तुरंत पहले, किसी अन्य अधिनियम के कारण पहले से ही प्रभावी था, वहां अधिसूचना के इस प्रावधान के द्वारा किसी संपत्ति के क्षतिग्रस्त रूप से प्रभावित होने के कारण से कोई प्रतिकार देय नहीं होगा, यदि पहले से ही प्रभावी प्रावधानों के द्वारा सम्पत्ति क्षतिग्रस्त रूप से प्रभावित होने के कारण प्रतिकार दे दिया गया है अथवा जिसका दावा किया जा सकता था या जो देय नहीं था।
- (4) जहां ऐसी अधिसूचना का कोई प्रावधान इसके प्रभावी होने से तुरंत पूर्व, किसी अन्य अधिनियम के कारण वैध रूप से किसी योजना, आदेश विनियम अथवा उप-नियम में सम्मिलित कर लिया जा सकता था, वहां—
 - (क) यदि उस योजना, आदेश, विनियम या उप-नियम में उस प्रावधान के सम्मिलित होने के कारण कोई प्रतिकार देय नहीं होता तो, अधिस्चना के उस प्रावधान के संबंध में कोई प्रतिकार देय नहीं होगा; और
 - (ख) यदि प्रतिकार इस प्रकार देय होता तो अधिसूचना के उस प्रावधान के संबंध में देय प्रतिकार उस प्रतिकार से अधिक नहीं होगा जो इस प्रकार देय होता।
- (5) किसी अधिसूचना के संबंध में प्रतिकार के रूप में दी जाने वाली धनराशि, विवाद की स्थिति में खंड 31 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

अध्याव-VI

विविध

32. दिल्ली पुरातत्वीय सलाहकार परिषद्.—(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुरातत्व के क्षेत्र से संबंधित नीतिगत विषयों पर

सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारकों, और स्थानीय महत्व के पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के लिए स्थायी आधार पर एक सलाहकार परिषद् का गठन किया जाएगा जिसे दिल्ली पुरातत्वीय सलाहकार परिषद् (यहां बाद में सलाहाकार परिषद् के रूप में उल्लिखित) कहा जाएगा।

- (2) सलाहकार परिषद् का गठन सरकार द्वारा किया जायेगा और जिसमें एक अध्यक्ष, जो कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री होंगे तथा निदेशक, पुरातत्व विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार सदस्य-सचिव होंगे तथा 16 सदस्य सरकार द्वारा दो वर्ष के लिये मनोनीत किए जाएंगे और इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए किन्हीं नियमों के अधीन हैं।
- 33. शिक्तवों का प्रत्यायोजन.—सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत उसे प्रदत्त किन्हीं भी शिक्तवों का प्रयोग निर्देश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, सरकार के मातहत ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा भी किया जा सकेगा जैसे निर्देश में विनिर्दिष्ट किये जायें।

. **34. शास्तिमां.—**(1) कोई भी व्यक्ति जो---

- (i) किसी संरक्षित स्मारक या स्थल और अवशेषों को मध्ट करता है, हटाता है, क्षित पहुँचाता है, उनमें परिवर्तन करता है, जोड़ता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है या संरक्षित स्मारक या स्थल और अवशेषों का दुरुषयोग करता है; या
- (ii) किसी संरक्षित स्मारक का स्वामी या अधिभोक्ता होते हुए, खंड १ कें उप-खंड (1) अथवा खंड 10 के उप-खंड (1) के अन्तर्गत किए गए किसी आदेश का उल्लंबन करता है; या
- (iii) किसी संरक्षित स्मारक से कोई मूर्तिकला, नक्काशी, मूर्ति, निम्न उद्भूत (बैस रिलीफ), शिलालेख, स्तम्भ, दीवार गीर, पत्थर, शिल्प-तथ्य या इसी प्रकार की अन्य सामग्री या वस्तुओं को हटाता है; या
- (iv) खंड 24 के उप-खंड (1) के उल्लंघन में कोई कार्य करता है;

उसे कारावास जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या अर्थदंड जो पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों से दिण्डत किया जायेगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को जो खंड 18 के उपखंड (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के प्रावधान में से किसी का उल्लंधन करता है अर्थदंड जो पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जायेगा, और यदि दोषी सिद्ध हो जाने के पश्चात् उल्लंधन जारी रहता है तो अतिरिक्त अर्थदंड जो जारी रखे गए उल्लंधन के प्रतिदिन के लिए दो सौ पचास रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जायेगा और यदि ऐसी अवधि की समाप्ति जैसी न्यायालय निर्धारित करे, के पश्चात् उल्लंधन जारी रहता है तो, सरकार को इसके अतिरिक्त वे सभी कार्य

करने की शक्ति प्राप्त होगी जो उसकी राय में इन भवन, ढाँचा और अन्य कार्य का उतना भाग हटाने के लिए आवश्यक है जो इन प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तथा सरकार द्वारा किया गया कोई भी व्यय सिद्ध दोषी व्यक्ति से भू-राजस्य की बकाया राशि की भौति वसूल किया जाएगा।

- 35. अपराघों का दुरिभसंबान.—(1) निदेशक या इस संबंध में उसके द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के पूर्व या पश्चात् इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के पूर्व या पश्चात् इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी राशि के लिए, जैसी सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें, दंडनीय बनाये गये अपराधों को दूरिभसंधित कर सकता है।
- (2) जहां उपखंड (1) के अंतर्गत कोई अपराध दुरिभसंधित किया गया है वहां अपराधी, यदि अभिरक्षा में है तो उसे मुक्त कर दिया जायेगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- 36. अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र.— महानगरीय दंडाधिकारी की अदालत से निचली कोई अदालत इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी दंडयोग्य अपराध के लिए मुकद्दमा नहीं चलाएगी।
- 37. कुछ अपराधों का संज्ञेय होना.—अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का II) की खंड 29 में किसी बात के होते हुए भी, खंड 34 के उप-खंड (1) की धारा (i) या धारा (iii) के अन्तर्गत कोई भी अपराध उस संहिता के आशय के अंतर्गत संज्ञेय अपराध माना जायेगा।
- 38. अर्थदंड से संबंधित विशेष प्रावधान.—अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का II) की खंड 31 में किसी बात के होते हुए भी किसी भी महानगरीय दण्डाधिकारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को दो हजार रुपये से अधिक का अर्थदंड दे सके जो ऐसे किसी अपराध में दोषी टहराया गया है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दो हजार रुपये से अधिक के अर्थदंड से दण्डनीय है।
- 39. सरकार को देय राशि की वसूली.—इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय राशि, निदेशक द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र पर उसी रीति से वसूल की जायेगी जैसे भू-राजस्व की राशि।
- 40. किसी संरक्षित स्मारक और संरक्षित क्षेत्र को अब और आगे ऐसे स्मारक और ऐसे क्षेत्र न होने की घोषणा करने की शिक्त.—यदि सरकार का विचार है कि किसी संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र का और आगे संरक्षण करना आवश्यक नहीं है तो, यह, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, इस आशय की घोषणा कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसा स्मारक या क्षेत्र संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, नहीं होगा।
- 41. त्रुटियां सुधारने आदि की शक्ति.—इस अधिनियम के अन्तर्गत घोषित संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, के वर्णन में किसी आकस्मिक चूक या लुप्ति से उत्पन्न होने वाली कोई लिपिकीय या टंकन अशुद्धि या स्पष्ट त्रुटि या त्रुटियाँ किसी भी समय, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निदेशक द्वारा सुधारी जा सकती है।

- 42. अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का संरक्षण.—िकसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावना से की गयी है या सद्भावना के अभिप्राय से की गयी है, प्रतिकार के लिए कोई बाद और अपराधिक कार्यवाही नहीं लाई जा सकेगी।
- 43. नियम बनाने की शक्ति.— (1) सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्योन्तित करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशेष रूप से तथा, पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यतः पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी का प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्—
 - (क) संरक्षित स्मारक या क्षेत्र के निकट खनन, क्वैरीइंग, उत्खनन, खुदाई, विस्फोट या इसी प्रकृति के किसी कार्य की जो सरकार के विचार में स्मारक या क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, की सुरक्षा को जोखिम में डालता है या ऐसी आशंका है, या ऐसे स्मारक या क्षेत्र से लगी हुई भूमि पर भवनों के निर्माण या अनिधकृत अधिभोग अथवा निर्माण कार्य का प्रतिषेध्र या अनुज्ञप्ति द्वारा अन्यथा विनियमन;
 - (ख) किसी संरक्षित स्मारक के जनसाधारण के अभिगर्मण का अधिकार और इसके लिए लिया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो तो;
 - (ग) खंड 28 के उप-खंड (2) के अंतर्गत निदेशक के प्रतिवेदन का प्रारूप और मसौदा;
 - (घ) वह प्रारूप जिसमें खंड 24 के अंतर्गत अनुमित के आवेदन किये जा सकते हैं और वह विवरण जो इनमें रिहित होना चाहिये;
 - (ङ) वह रीति जिसके अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत दावा किया जायेगा और वह समय जिसके भीता यह प्रस्तुत किया जा सकता है;
 - (च) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने का प्रारूप तथा रीति और वह समय जिसके भीतर इसे प्रस्तुत किया जा सकता है;
 - (छ) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी आदेश या सूचना के तामील की रीति;
 - (ज) वह रीति जिसके अनुसार पुरानत्वीय प्रयोजमीं के लिए उत्खनन या इसी प्रकार की अन्य क्रियाएं की जा सकती हैं;
 - (झ) इस अधिनियम के खंड 20 के अन्तर्गत दिये जाने वाले अपेक्षित या अधिकृत सूचना का प्रारूप और वह रीति जिसके अनुसार इसकी तामील की जा सकती है;
 - (ट) इस अधिनियम के खंड 21 के उप-खंड (2) के अन्तर्गत, किसी स्मारक पर कब्जा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रविधि;

2662 29/2003-3

- (ठ) सलाहकार परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल और उन्हें देय यात्रा तथा अन्य भत्ते; और
- (ड) कोई विषय जो विहित है या किया जा सकता है।
- (3) इस खंड के अन्तर्गत बनाया हुआ कोई भी नियम यह प्रावधान कर सकता है कि उसका उल्लंघन दंडनीय होगा—
 - (i) उप-खंड (2) की धारा (क) के संदर्भ में बनाये गए नियम के मामले में, कारावास से जो तीन महीने तक का हो सकता है या अर्थदंड से जो बीस हजार रूपये तक का हो सकता है या दोनों से;
 - (ii) उप-खंड (2) की धारा (ख) के संदर्भ में बनाये गये किसी नियम के मामले में, अर्थदंड से जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकता है।
- (4) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये प्रत्येक नियम को बनाये जाने के पश्चात् शीव्रताशीव्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधानसभा के सदन के समक्ष रखा जायेगा, जबिक उसका सत्र चल रहा हो, जिसकी कुल अविध 30 दिनों को होगी जिसका समावेश एक या दो या अधिक क्रमिक स्तरों में हो सकता है और यदि सत्र के तुरंत बाद अथवा उपरोक्त सत्रों के तुरंत बाद, सत्र की समापित के पूर्व, सदन नियम में संशोधन करने के लिए सहमत होता है या इसके लिए सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो ऐसा नियम या तो संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, परन्तु फिर भी, ऐसे किसी संशोधन या निरसन से उक्त नियम के अंतर्गत पूर्व में किये गये कार्य कि वैधता पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 44. निरसन.—प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का VII) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर अपनी प्रयुक्ति में उन सभी पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों तथा उनसे संबंधित दूसरे सभी विषयों पर, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, केवल उन कार्यों को छोड़कर जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व किये गये थे या छोड़ दिये गये थे, प्रभावी नहीं होगा।
- 45. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति.—यदि इस अधिनयम के प्रावधानों के प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, सरकार आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं होगा, कठिनाई को दूर कर सकती है:

बशर्ते कि ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

वी. के. बंसल, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 7th September, 2005

No. F. 14(33)/LA-2004/273.—The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the

11th August, 2005 and is hereby published for general information:—

The Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004

(Delhi Act 9 of 2005)

11th August, 2005

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 16th December, 2004.)

An Act to provide for the preservation of ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains other than those declared to be of national importance and for the regulation of excavation of archaeological sites other than those declared to be of national importance in the National Capital Territory of Delhi.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER 1 PRELIMINARY

- (1) Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004.
- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- (2) **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires—
 - (a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any turnulus or place of interment, or any cave, rock-sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes—.
 - (i) the remains of an ancient monuments;
 - (ii) the site of an ancient monument;
 - (iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such ancient monument; and
 - (iv) the means of access to, and convenient inspection of, an ancient monument;
 - (b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years and includes—

- such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it; and
- (ii) the means of access to, and convenient inspection of, the area;
- (c) "Director" means the Director of Archaeology of the Government of National Capital Territory of Delhi and includes any other officer authorized by the Government to exercise the powers and to perform all or any of the functions of the Director prescribed by or under this Act;
- (d) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239AA of the Constitution;
- (e) "local authority" means the Municipal Corporation of Delhi, the New Delhi Municipal Council, the Delhi Cantonment Board and the Delhi Development Authority and includes a Gaon Panchayat established under Section 151 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Delhi Act 8 of 1954);
- (f) "maintain" with its grammatical variations and cognate expressions, includes fencing, covering in, repairing, restoring and cleaning of a protected monument and the doing of any act which may be necessary for the purpose of maintaining a protected monument or of securing convenient access thereto;
- (g) "non-living" used in relation to a monument or site means a monument or site which is not being used for any religious or social ceremony, rite, worship or prayer at the time of its declaration as a protected monument or site;
- (h) "owner" includes-
 - a joint owner vested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successors in-title of any such owner; and
 - (ii) a manager or trustee, not being the owner, who has been entrusted with the custody and management of a monument or site and the successor-in-office of any such manager or trustee;
- (i) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (j) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be a protected area under this Act;
- (k) "protected monument" means a monument which is declared to be a protected monument under this Act;
- (I) "unauthorized occupation" means the occupation by any person of the monument or

- archaeological site and remains without authority for such occupation, and includes the continuance in occupation by any person of the monument or archaeological site and remains after the authority under which he was allowed to occupy the premises has expired or has been terminated for any reason whatsoever.
- 3. Application of the Act.—Nothing is this Act shall apply to protected areas and protected monuments as defined in clauses (i) and (j) respectively of Section 2 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (Central Act 24 of 1958).

CHAPTER-II PROTECTED MONUMENTS

- 4. Power of Government to declare monument to be protected monument and archaeological site and remains to be protected area.—(1) Where the Government is of the opinion that it is necessary to protect against destruction, injury, alteration, multilation, defacement, removal, dispersion or falling into decay and for preservation any—
 - (a) monument;
 - (b) archaeological site and remains;

It may, by notification in the Official Gazette, give two months' notice of its intention to declare such monument to be a protected monument or such archaeological site and remains to be a protected area, as the case may be, and a copy of every such notification shall be affixed in a conspicuous place on or near the monument or site and remains, as the case may be

- (2) Any person interested in any such monument or archaeological site and remains may, within two months after the issue of the notification under sub-section (1), object to the declaration of the monument to be a protected monument or the archaeological site and remains to be a protected area, as the case may be.
- (3) On the expiry of the said period of two months, the Government may, after considering the objections, if any, received by it, declare by notification in the Official Gazette, the monument to be a protected monument or the archaeological site and remains to be a protected area, as the case may be.
- (4) A notification published under this section shall, unless and until withdrawn, be conclusive evidence of the fact that the monument or the archaeological site and remains to which it relates, is a protected monument or a protected area, as the case may be.
- 5. Acquisition of right of protected monument.—
 (1) The Director may, with the prior approval of the Government, purchase, or take a lease of or accept a gift or bequeath of, any protected monument.
- (2) Where a protected monument is without an owner, the Director may, by issuing a notification in the

Official Gazette assume the guardianship of the monument.

- (3) The owner of any protected monument, by a written instrument, constitute the Director to guardian of the monument, and the Director may, with the approval of the Government accept such guardianship.
- (4) When the Director has accepted the guardianship of a protected monument under sub-section (3), the owner shall, except as expressly provided in this Act, have the same estate right, title and interest in and to the monument as if the Director had not been constituted a guardian thereof.
- (5) When the Director has accepted the guardianship of a protected monument under sub-section (3), the provisions of this Act relating to agreements entered into under Section 6 shall apply to the written agreement referred to in the said sub-section.
- (6) Nothing in this section shall affect the use of any protected monument for customary religious observances in case the monument is under religious use.
- 6. Maintenance of protected monument by agreement.—(1) The Director may, with the approval of the Government, propose to the owner of a protected monument to enter into an agreement with the Government within a specified period for the maintenance of the monument.
- (2) An agreement under this section may provide for all or any of the following matters, namely:—
 - (a) the maintenance of the monument;
 - (b) the custody of the monument and the duties of any person who may be employed to watch it;
 - (c) the restriction of the owner's right—
 - (i) to use the monument for any purpose;
 - (ii) to charge any fee for entry into, or inspection of the monument;
 - (iii) to destroy; damage, remove, alter or deface the monument; or
 - (iv) to build on or near the site of the monument within a radius upto fifty metres;
 - (d) the facilities of access to be permitted to the public or any section thereof and to the Director and to the person deputed by the owner or the Director to inspect or maintain the monument;
 - (e) the notice to be given to the Government in case the land on which the monument is located or any adjoining land is offered for sale by the owner, and the right to be reserved to the Government, to purchase such land, at its market value;
 - (f) the payment of any expenses incurred by the owner or by the Government in connection with the maintenance of the monument:
 - (g) the proprietary or other rights which are to vest in the Government in respect of the monument when any expenses are incurred by the

- Government in connection with the maintenance of the monument;
- (h) the appointment of any authority to decide any dispute arising out of the agreement; and
- (i) any matter related to the maintenance of the monument which is a proper subject of agreement between the owner and the Government.
- (3) The terms of agreement under this section may be altered, if any necessary, with the approval of the Government and with the consent, in writing, of the owner provided that it serves the purpose of preserving the manufacturer.
- (4) The Government or the owner may, at any time after the expiration of ten years from the date of execution of an agreement under this section, terminate it on giving six months' notice in writing to the other party:

Provided that where the agreement is terminated by the owner, he shall pay to the Government the expenses, if any incurred by it on its maintenance.

- (5) The agreement under this section shall be binding on any person claiming to be owner of the monument to which it relates, from through or under a party by whom or on whose behalf the agreement was executed.
- 7. When owners are under disability or when it is a village property.—(1) It the owner of a protected monument is unable by reason of infancy or other disability, to act for himself, the person legally competent to act on his behalf may exercise the powers conferred upon an owner by Section 6.
- (2) In the case of protected monument which is a village property, the Panchayat for the village where such property vests in the Panchayat or where such property does not vest in a Panchayat, any village officer exercising powers of management over such property may exerciser the powers conferred upon an owner by Section 6.
- (3) Nothing in this section shall be deemed to empower any person not being of the same religion as the person on whose behalf he is acting to make or execute an agreement relating to a living, that it is to say a functional protected monument which or any part of which is regularly used every year for religious workshop or observances of that religion at the time of its protection.
- 8. Application for endowment to repair a protected monument.—(1) If any owner or other person, competent to enter into an agreement under Section 6 for the maintenance of a protected monument, refuses, or fails to enter into such an agreement when proposed to him by the Director, and if any endowment has been created for the purpose of keeping such monument in good repair or for that purpose among others, the Government may institute a suit in the court of the District Judge, Delhi, or if the estimated cost of repairing the monument does not exceed twenty thousand rupees, may make an application to the District Judge, Delhi for the proper application of such endowment or part thereof.

- (2) On the hearing of an application made under subsection (1), the District Judge, Delhi may summon and examine the owner and any person whose evidence appears to him to be necessary, and may pass an order for the proper application of the endowment or any part thereof, and any such order shall be executed as if it were a decree of a civil court.
 - 9. Failure or refusal to enter into agreement.—
- (1) If any owner or other person competent to enter into an agreement under section 6 for the maintenance of a protected monument refuses or fails to enter into such an agreement, the Government may make an order providing for all or any of the matters specified in sub-section (2) of section 6, and such order shall be binding on the owner or such other person and on every person claiming title to the monument from, through or under, the owner or such other person.
- (2) Where an order made under sub-section (1) provides that the monument shall be maintained by the owner or other person competent to enter into an agreement, all reasonable expenses for the maintenance of the monument shall be payable by the Government.
- (3) No order under sub-section (1) shall be made unless owner or other person has been given an opportunity of making a representation, in writing, against the proposed order.
- of agreement.—(1) If the Director apprehends that the owner or the occupier of a protected monument intends to destroy, remove, alter, mutilate, deface, imperial or misuse the monument or to build on or near the site thereof in contravention of the terms of an agreement under section 6, the Director may, after giving the owner or the occupier an opportunity of making a representation against the proposed action in writing, make an order prohibiting any such contravention of the agreement

Provided that no such opportunity may be given in a case where the Director, for reasons to be recorded in writing, is satisfied that it is not expedient or practicable to do so.

- (2) Any person aggrieved by an order under this section may appeal to the Government within such time and in such manner as may be prescribed in this behalf and the decision of the Government in this regard shall be final.
- 11. Enforcement of an agreement.—(1) If an owner or other person who is bound by an agreement for the maintenance of a monument under section 6 refuses or fails, within such reasonable time as the Director may decide, to do any act which in the opinion of the Director may authorize any person to do any such act, and the owner or other person shall be liable to pay the expenses as the owner or the other person may be liable to pay under the agreement.
- (2) If any dispute arises regarding the amount of expenses payable by the owner or other person under subsection (1), it shall be referred to the Government whose decision shall be final.

2662 09/2005-4

- 12. Purchasers at certain sales and persons claiming through owner bound by instrument executed by owner.—Every person who purchases at a sale, for arrears of land revenue or any other public demand, any land on which is situated a monument, in respect of which an instrument has been executed by the owner for the time being under section 5 or section 6, and every person claiming any right, title or interest to or in a monument from, through or under an owner who executed any such instrument, shall be bound by such instrument.
- 13. Compulsory acquisition of a protected monument.—If the Government apprehends that a protected monument is in danger of being destroyed, injured, misused, or allowed to fall into decay, it may acquire the protected monument under the provision of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), as if the maintenance of protected monument were a public purpose within the meaning of that Act.
- 14. Maintenance of certain protected monuments.—
 (1) The Government shall maintain every monument which has been acquired under section 13 or in respect of which any of the rights mentioned in section 5 have been acquired.
- (2) When the Director has accepted the guardianship of a protected monument, under section 5, he shall, for the purpose of maintaining such monument have access to the monument at all reasonable times, by himself and by his agents, subordinates and workmen, for the purpose of inspecting the monument, and for the purpose of brining such material and doing such acts as he may consider necessary or desirable for the maintenance thereof.
- 15. Voluntary contributions.—The Director may receive voluntary contributions towards the cost of maintaining a protected monument and may give such general or special orders or directions as he considers necessary for the management and applications of the contributions so received by him:

Provided that no contribution received under this section shall be applied to any purpose other than the purpose for which it was contributed without the consent, in writing, of the donor.

- 16. Protection of places of worship from misuse, pollution or descreation.—(1) A protected monument maintained by the Government under this Act which is a place of worship under active religious use, shall not be used for any purpose inconsistent with its character.
- (2) Where the Government has acquired a protected monument under section 13, or has purchased, or taken a lease or accepted a gift or bequest or assumed guardianship of, a protected monument under section 5, and such monument or any part thereof is actually used every year for religious worship or observances by any community, the Director shall make due provision for the protection of such monument, or part thereof, from pollution or descreation—
 - (a) by prohibiting the entry therein except in accordance with the conditions prescribed with

- the concurrence of the persons, if any, in charge of the said monument or part thereof, and connected with any religious practice or observances in relation thereto, of any person not entitled to enter by religious usages of the community by which the monument or part thereof issued, or
- (b) by taking such other action as he may think necessary in this behalf.
- 17. Prohibited area and regulated area.—An area upto fifty meters from the protected limits of monument shall be declared as prohibited area for any construction and mining activities near or adjoining protected monuments and further beyond it up to one hundred meters as regulated area in which construction and mining activities can be undertaken only after getting permission of the Government, and further subject to any rules made under this Act.
- 18. Preservation amenities of protected monuments.—(1) If the Government is of opinion that for the purpose of preserving the reasonable amenities of any protected monument, it is necessary so to do, the Government may, subject to the provisions of this section, by notification in the Official Gazette, in respect of any area comprising or adjacent to the site of such monument, specified in such notification (hereinafter referred to as "the controlled area"):
 - (a) prohibited or restrict the construction, erection or execution of building, structure and other work within the controlled area, or the alteration or extension of any such building, structure, or work in such manner as to materially affect their external appearance;
 - (b) prescribe the position, height, site, materials, colour and screening and otherwise regulate the external appearance of buildings, structures and other work within the controlled area:
 - (c) require any local authority—
 - (i) to construct any approach road to any protected monument; or
 - (ii) to demolish any public convenience vesting in it, that is to say, a latrine, urinal, dustbin, rubbish dump and the like; located close to or in the vicinity of any protected monument;
 - (d) otherwise restrict the use of the land within the controlled area:
 - (e) otherwise restrict the use of the land within the controlled area to such extent as is necessary for the purpose of preserving the reasonable amenities of the protected monument; and
 - (f) provide for such matters as appear to the Government to be incidental to or consequential on the foregoing provisions of this section, or to be necessary for giving effect to those provisions.

- (2) Not less than forty five days before issuing a notification under sub-section (1), the Government shall cause to be published in the Official Gazette, in the controlled area, and in the village and at the headquarters of the Tehsil in which the controlled area is situated, a notification to the effect that those who wish to make any objection to the issue of such a notification under sub-section (1), may submit their objections in writing to the Government or appear before any officer duly authorized in that behalf, to hear objections on behalf of the Government, within one month of the publication of the notification in the Official Gazette or within fifteen days from the date of the publication of the notification in the controlled area, whichever period expires later.
- (3) If on the expiration of the time-limits allowed by sub-section (2) for the filling of objections, no objection has been made, the Government shall proceed at once to issue the notification under sub-section (1) but if any objection has been made, the Government may, after such objection has been considered or heard, as the case may be, either—
 - (a) abandon the proposal to issue the notification under sub-section (1); or
 - (b) issue the notification under sub-section (1) with such modification, if any, as it thinks fit.
- (4) The decision of the Government on the question of issuing the notification under sub-section (1) shall be final and conclusive.
- . (5) Nothing contained in any notification under subsection (1) shall affect any building, structure or other work or any alteration or extension thereof, if it was constructed, erected or executed before the date when notice of intention to issue such a notification was given under sub-section (2), and for the purpose of this provision, a building, structure, or other work and any alteration on extension thereof shall be deemed to have been constructed, erected or executed before that date—
 - (a) if its construction, erection or execution was begun before that date; or
 - (b) if, and so far as, its construction, erection, or execution was necessary for the purpose of performing a contract made before that date.
- (6) Any person whose property is injuriously affected by the coming into force of a notification under sub-section (1) shall, subject to the provisions of Section 31 be entitled to obtain compensation in respect thereof from the Government.
- 19. Power to prevent destruction of monument.— Notwithstanding anything contained in this Act, where the Director is of the opinion that a particular monument which has not been declared a protected monument under this Act is being destroyed either deliberately or otherwise and the same needs to be preserved in the public interest, he shall take such steps as may be necessary to prevent destruction of the monument.

- 20. Issue of notice to show cause for an order of eviction.—(1) If the Government is of the opinion that any presons are in Anauthorized occupation of any monument whose ownership rests with the Government and that they should be evicted, the Director shall issue in the manner hereinafter provided a notice in writing calling upon all persons concerned to show cause why an ordr of eviction should be made.
 - (2) The notice shall—
 - (a) specify the grounds on which the order of eviction is proposed to be made; and
 - (b) require all persons concerned, that is to say, all persons who are, or may be in occupation of, or claim any interest in the monument—
 - (i) to show cause, if any, against the proposed order on or before such date as is specified in the notice, being a date not earlier than seven days from the date of issue thereof; and
 - (ii) to appear before the Director on the date specified in the notice along with the evidence which they intend to produce in support of the cause shown and also personal hearing, if such hearing is desired.
- (3) The Director shall cause the notice to be served by having it affixed on the outer or some other conspicuous part of the monument and in such other manner as may be prescribed where upon the notice shall be deemed to have been duly given to all persons concerned.
- (4) Where the Director knows or has reason to believe that any persons are in occupation of the monument, then, without prejudice to the provisions of sub-secton (3), he shall cause a copy of the notice to be served on every such person by registered post or by delivering or tendering it to that person or in such other manner as may be prescribed.
- 21. Eviction of unauthorized occupants.—(1) If, after considering the cause, if any, shown by any person in pursuance of a notice under section 20 and any evidence produced by him in support of the same and after a personal hearing, if any, given under clause (b) of sub-section (2) of Section 20, the Director if satisfied that the monuments are in unauthorized occupation, the Director may make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the monuments shall be vacated on such date as may be specified in the order, by all persons who may be in occupation thereof, and cause a copy of the order to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the monuments.
- (2) If any person refuses or fails to comply with the order of eviction on or before the date specified in the said order or within fifteen days of the date of its publication under sub-section (1), whichever is later, the Director or any other officer duly authorized by him in this behalf may after the date as specified or after the expiry of the period

- aforesaid, whichever is later, evict that person from, and take possession of the monument according to such procedure as may be prescribed and may, for that purpose, use such force as may be necessary.
- 22. Relinquishment of Government's rights in a monument.—(1) Where rights have been acquired by the Government in respect of any monument in the official gazette under this Act by virtue of any sale, lease, gift or will, the Government may by notification, relinquish rights so acquired, to the person who would, for the time being be the owner of the monument, as if such rights had not been acquired.
- (2) The Director may, with the prior sanction of the Government relinquish the guardianship of a monument which he has assumed under this Act.
- 23. Rights of access to a protected monument.—
 Subject to any rules made under this Act, the public shall have a right of access to any protected monument or part thereof.

CHAPTER-III PROTECTED AREAS

24. Restrictions on enjoyment of property rights in protected areas.—(1) No person including the owner or occupier of a protected area shall construct any building within the protected area or carry on any mining, quarrying, excavating, blasting or any operation of a like nature in such area, or utilize such area or any part thereof in any other manner without the permission of the Government.

Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to prohibit the use of any such area or part thereof for purpose of cultivation if such cultivation does not involve the digging of not more than one foot of soil from the surface.

- (2) The Government may, by order, direct that any building constructed by any person within a protected area in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be removed within a specified period and, if the person refuses or fails to comply with the order, the Director may cause the building to be removed and the person shall be liable to pay the cost of removal.
- 25. Power to acquire a protected area.—If the Government is of opinion that any protected area contains an antiquarian remains, monument or site which is of historical or archaeological value, it may acquire such area under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), as if the acquisition were for a public purpose within the meaning of that Act.

CHAPTER-IV

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS

26. Excavations in protected areas.—Subject to the provisions of Section 24 of the Ancient Mounments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Director or an officer authorized by him in this behalf or any person holding a licence granted in this behalf (hereinafter referred to as "the licencee"), may, after giving

notice, in writing to the Deputy Commissioner of the area concerned and the owner enter upon and make excavations in any protected area.

- 27. Excavations in an area other than a protected area.—(1) Subject to the provisions of Section 24 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), where the Director has reasons to believe that any area, not being a protected area, contains ruins or relies so historical or archaeological importance, he or an officer authorized by him in this behalf may, after giving notice in writing to the Deputy Commissioner of the area concerned and the owner enter upon and make excavations in this area.
- (2) At the conclusion of the excavation operations, the Director or an officer authorized by him shall give in writing to the owner of the land from where such antiquities have been discovered as to the nature and number of such antiquities.
- 28. Compulsory acquisition of antiquities etc. discovered during excavation operations and casual digging.—(1) The antiquity or any other archaeological material discovered at a site, whether located in a protected area or not, will be acquired by the Government.
- (2) Where, as a result of any chance discovery or as a result of any unathorized digging in any area, any antiquities or remains are discovered, the Director, shall as soon as practicable, examine such antiquities and submit a report to the Government in such manner and containing such particulars as may be prescribed.
- (3) Until an order for the compulsory purchase of any such antiquities is made under sub-section (4), the Director shall keep them in such safe custody as he may deem fit after proper documentation.
- (4) On receipt of a report under sub-section (2), the Government may make an order for the compulsory purchase of any such antiquities.
- (5) When an order for the compulsory purchase of any antiquity or art object is made under sub-section (4), the ownership of such antiquity or art object shall vest in the Government with effect from the date of the order.

CHAPTER-V

PRINCIPLES OF COMPENSATION

- 29. Compensation for loss or damage.—Any owner or occupier of land who has sustained any loss or damage or any diminution of profits from the land by reason or any entry on, or excavation in, such land or the exercise of any other power conferred by or under this Act shall be paid compensation by the Government for such loss, damage or diminution of profits.
- 30. Assessment of market value or compensation.— The market value of any property which the Government is empowered to purchase at such value under this Act or the compensation to be paid by the Government in respect of anything done under this Act, shall, where any dispute arise in respect of such market value or compensation, be ascertained in the manner provided for in Sections 3, 5, 8 to

34, 45 to 47, 51 to 52 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), so far as they can be made applicable:

Provided that when making an inquiry under the said Land Acquisition Act, the Deputy Commissioner of the area concerned shall be assisted by two assessors, one of whom shall be person nominated by the Government and the other, a person nominated by the owner or the occupier, or, in case the owner or the occupier fails to nominate an assessor within such time as may be fixed by the Deputy Commissioner of the area concerned in this behalf.

- 31. Special provision as to compensation under Section 18.—(1) No person shall be entitled to compensation in respect of any order issued under subsection (1) of Section 18 unless, within three months from the date on which such notification comes into force, or within such further time as the Government may in special circumstances allow, he makes a claim in the prescribed manner.
- (2) A person shall not be entitled to compensation by reason of the fact that any act or thing done or causes to be done by him has been rendered abortive by such notification if, or so far as, the act or thing was done after the date on which the notification was issued, or by reason of the fact that the performance of any contract made by him after that date is prohibited as a result of the notification.
- (3) Where any provision of such notification was, immediately before the notification came into force, already in force by virtue of any other Act, no compensation shall be payable by reason of any property being injuriously affected by that provision of the notification if compensation has been paid or could have been claimed, or was not payable, by reason of that property having been injuriously affected by the provision already in force.
- (4) Where any provision of such notification could, immediately before it came into force have been validly included in a scheme, order, regulation or bye-law, by virtue of any other Act—
 - (a) if no compensation would have been payable by reason of the inclusion of that provision in that scheme, order, regulation or bye-law, no compensation shall be payable in respect of that notification; and
 - (b) if compensation would have been so payable, the compensation payable in respect of that provision of the notification shall not be greater than the compensation which would have been so payable.
- (5) The amount of the sum which is to be paid as compensation in respect of such a notification, in case of any dispute, shall be determined in accordance with the provisions of Section 31.

CHAPTER-VI MISCELLANEOUS

32. Delhi Archaeological Council.— (1) There shall

be constituted an Advisory Council for ancient and

historical monuments and archaeological sites and remains of State importance to be called in Delhi Archaeological Advisory Council (hereinafter referred to as the Advisory Council) for the purpose of advising the Government on matters of policy relating to the field of archaeology in the National Capital Territory of Delhi.

- (2) The Advisory Council shall be constituted by the Government and shall consist of a Chairman who will be Minister of Education, Government of National Capital Territory of Delhi and Director of the Department of Archaeology of the Government of National Capital Territory of Delhi will be Member Secretary and 16 members to be nominated by the Government for a period of two years and further subject to any rules made under this Act.
- 33. **Delegation of power.**—The Government may, by notification in the official gazette, direct that any powers conferred on it by or under this Act shall, subject to such conditions as may be specified in the direction, be also exercisable by such officer or authority subordinate to the Government as may be specified in the direction.

34. Penalties.—(1) Whoever—

- destroys, removes, injures, alters, adds, deface, imperils or misuse a protected monument, or site and remains; or
- (ii) being the owner, or the occupier of a protected monument, contravenes an order made under sub-section (1) of section 9 or under sub-section (1) of section 10; or
- (iii) removes from a protected monument, any sculpture, carving, image, bas-relief, inscription, pillar, brackets, stones, artifacts or other like material or objects; or
- (iv) does any act in contravention of sub-section(1) of section 24;

shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both.

- (2) Any person who contravenes any of the provisions of a notification issued under sub-section (1) of section 18 shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees, and if the contravention is continued after conviction, with a further fine which may extend to two hundred and fifty rupees for each day of continued contravention, any if such contravention is continued after the expiry of such period as the Court may determine, the Government shall, in addition, have power to do all such acts as its opinion are necessary for removing so much of the building, structure or work as is not in conformity with such provisions, and any expense incurred by the Government shall be recoverable from the person convicted, as an arrear of land revenue.
- 35. Compounding of offences.—(1) The Director or any person authorized by him by general or special orders in this behalf, may either before or after institution of the 26620612005-5

- proceedings compound any offences made punishable under this Act for such amount as the Government may by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.
- (2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence.
- 36. **Jurisdiction to try offences.**—No Court inferior to that of a Metropolitan Magistrate shall try any offence punshable under this Act.
- 37. Certain offences to be congnizable.—
 Notwithstanding anything contained in section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (II of 1974), any offence under clause (i) or clause (iii) of sub-section (1) of section 34, shall be deemed to be a cognizable offence within the meaning of that Code.
- 38. Special provision regarding fine.—
 Notwithstanding anything contained in section 31 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (II of 1974), it shall be lawful for any Metropolitan Magistrate to pass a sentence or fine exceeding two thousand rupees on any person convicted of an offence, which under this Act is punishable with fine exceeding two thousand rupees.
- 39. Recovery of amount due to Government.—Any amount due to the Government from any person under this Act may, on a certificate issued by the Director, be recovered in the same manner as an arrear of land revenue.
- 40. Power to declare protected monument, and protected area to be no longer such monument or area.—
 If the Government is of the opinion it is no longer necessary to protect any protected monument or protected area, it may, by notification in the Official Gazette make a declaration to that effect and thereupon such monument or area shall cease to be a protected monument or protected area, as the case may be.
- 41. Power to correct mistakes, etc.—Any clerical or typographical mistake, patent error or error arising from an accidental slip or omission in the description of any monument or archaeological site and remains declared to be protected monuments or protected areas, as the case may be, under this Act may, at any time, be corrected by the Director by notification in the Official Gazette.
- 42. Protection of action taken under the Act.—No suit for compensation and criminal proceeding shall lie against any public servant for any action which is in good faith done or intended to be done in good faith under this Act.
- 43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the prohibition or regulation by licensing or otherwise of mining, quarrying, excavating, digging, blasting or any operation of a like nature which, in the opinion of the Government, has jeopardized or is likely to jeopardize the safety of the monument, or the area, as the case may be, near a protected monument or area or the construction of buildings on land adjoining such monument or area and the removal of unauthorized occupation, or construction activity;
- (b) the right of access of the public to a protected monument and fee, if any, to be charged therefor,
- (c) the form and contents of the report of the Director under sub-section (2) of section 28;
- (d) the form in which applications for permission under section 24 may be made and the particulars which they should contain;
- (e) the manner in which a claim shall be made under this Act and the time within which it may be preferred;
- (f) the form and manner of preferring an appeal under this Act and the time within which it may be preferred;
- (g) the manner of service of any order or notice under this Act;
- (h) the manner in which excavations and other like operations, for archaeological purposes may be carried on;
- the form of any notice required or authorized to be given under section 20 of this Act and the manner in which it may be served;
- (j) the procedure to be followed in taking possession of a monument, under sub-section(2) of Section 21 of this Act:
- (k) the term of the office, travelling and other allowances payable to the member of the Advisory Council; and
- any other matter which is or may be prescribed.
- (3) Any rule made under this section may provide that breach thereof shall be punishable—
 - (i) in the case of a rule made with reference to clause
 (a) of sub-section (2), with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both;
 - (ii) in the case of a rule made with reference to clause (b) of sub-section (2), with fine which may extend to five thousand rupees.
- (4) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the

Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the sessions immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule, or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

- 44. **Repeal.**—The Ancient Monuments Preservation, Act, 1904 (VII of 1904), in its application to the National Capital Territory of Delhi shall cease to have effect in relation to ancient and historical monuments, archaeological sites and remains and all other matters pertaining thereto, to which this Act applies, except in respect of things done or omitted to be done before the commencement of this Act.
- 45. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order not inconsistent with the provisions of the Act, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

V. K. BANS AL, Jt. Secy.

भूमि व भवन विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 7 सितम्बर, 2005

सं. फा. 9(77)/2004/भू. व भ./भू.अ./7140.—जबिक दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के अन्तर्गत भूमि प्राप्त किया जाना है। अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि अधिग्रहण की जानी है।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सिहत इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमित प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भी भूमि के अधिग्रहण में कोई आपत्ति है, अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों में दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण-पश्चिम) के समक्ष अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण-पश्चिम) के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र बीघा-बिस्वा	खसरा नं.	क्षेत्र बी षा-बि स्वा
शाहबाद	13-12	178/2	1-00
मौहम्मदपुर		1 इत्यादि/42	12-12

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर,

विजय खन्ना, उप-सचिव (भू.अ.)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th September, 2005

No. F. 9(77)/2004/L & B/LA/7140.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for Planned Development of Delhi. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of Sub-section 1 of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person, interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may within 30 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector (Southwest), Delhi.

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Land Acquisition Collector (Southwest).

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha- Biswa)	Khasra No.	Area (Bigha- Biswa)
Shahbad	13-12	178/2	1-00
Mohammadpur		1 etc/42	12-12

By Order and in the Name of the Lt. Governor of Delhi,

VIJAY KHANNA, Dy. Secy. (LA)

गृह (पुलिस-Ⅱ) विभाग (कार्यालय उपायुक्त पुलिस यातायात)

अधिस्वना

दिल्ली, 7 सितम्बर, 2005

सं. फा. 20/4/2003/गृह पु०-II 4647/सं. 8432-8621/या० अभि० सा० (डी-2).—क्योंकि सुल्तानपुरी रोड पर रोहतक रोड से रेलवे लाईन क्रॉसिंग तक भारी, मध्यम व हल्के माल वाहन चलने के कारण यातायात की भीड़-भाड़ उत्पन्न हो रही है तथा इससे सड़क प्रयोगकर्ताओं की जान को खतरा उत्पन्न हो रहा है। अत: यातायात की भीड़-भाड़ पर रोकथाम, सुगम प्रवाह और सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

और क्योंकि इस रोड पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने व सड्क के प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा/सुविधा के लिए यह करना आवश्यक है।

अतः मैं, महाबीर सिंह, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय), दिल्ली, "दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980" की धारा 30(1) जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारी, मध्यम व हल्के मालवाहक वाहनों को प्रातः 8.00 बजे से रात 10.00 बजे तक सुल्तानपुरी रोड पर रोहतक रोड से रेलवे लाईन क्रॉसिंग तक चलने व खड़ा करने पर प्रतिबंध लगाता हूं। अगले आदेश तक।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों तथा तमाम थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जायेगी।

संबंधित अधिकरण एवं सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवं सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 7-9-2005 को जारी किया गया।

महाबीर सिंह , उपायुक्त

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

(Office of the Deputy Commissioner of Police : Traffic)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th September, 2005

No. F. 20/4/2003/HP-II 4647/No. 8432-8621/TE (D-II)/Traffic.—Whereas, it is necessary to ensure smooth flow of traffic and prevent congestion and inconvenience to motorists and other road users due to the movement of Heavy, Medium and Light Goods Vehicles, which cause traffic problems and congestion and also endanger the life of other road users on Sultan Puri Road from Rohtak Road up to Railway Line Crossing.

And whereas in view of the problem of traffic congestion, it is necessary to regulate the movement of traffic on above roads for the convenience of road users and the safety of other road users.

Now, therefore, I, Mahabir Singh, Deputy Commissioner of Police, Traffic (Hdqrs.) Delhi in exercise of the powers conferred upon me under regulation 30(1) of the "Delhi Control of Vehicular and other traffic on Roads and Streets Regulation, 1980" do hereby prohibit the plying and idle parking of Heavy, Medium and Light Goods Vehicles from 8 AM to 10 PM on Sultan Puri Road from Rohtak Road up to Railway Line Crossing, till further orders.

This order shall be published for the information of the general public in the Official Gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and All Police Stations in Delhi/ New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding signboards indicating the restrictions in the area for information and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 7-9-2005.

MAHABIR SINGH, Dy. Commissioner